न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/103/2023	2023/632	07.08.2023	29.07.2024

1. श्रीमति पिंकी मीना पत्नी श्री धर्म सिंह मीना, पुत्री श्री महेन्द्र मीना निवासी शिव मंदिर के पास बीच का कुँआ, ग्राम रूपवास तहसील व जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी शिव मंदिर के पास बीच का कुँआ, ग्राम रूपबास तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलार्थी

बनाम

1. फूलचन्द मीना पुत्र श्री देवपाल मीना जाति मीना निवासी शिव मंदिर के पास बीच का कुँआ, ग्राम रूपबास पुलिस थाना अरावली विहार अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

——रैस्पॉडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर निर्णय दिनांक 07.07.2023

उपस्थितः—

01. श्री गोविन्द सिंह्व —वकील अपीलांट
02. श्री हेमराज गुप्ता —वकील रैस्पोडेंट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा–23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं तदसंबंधी नियम, 2010 उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 07.07.2023 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिस पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया/अपीलाण्ट प्रत्यर्थी ने एक परिवाद अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उम्र 61 साल है जो सीनियर सिटीजन की तारीफ में आता है प्रार्थी रेल्वे में नौकरी करता था एवं दिनांक 30.04.2019 को सेवानिवृत्ति हो चुका है तथा प्रार्थी की एक पत्नी व एक अविवाहित पुत्री भी है। प्रार्थी का मकान वाके शिव मंदिर के पास बीच का कुँआ रूपबास पुलिस थाना अरावली विहार अलवर तहसील व जिला अलवर राज० में स्थित है जिसमें करीब 8 कमरे बने हुये है प्रार्थी के पुत्र धर्म सिंह का विवाह अप्रार्थीया अपीलान्ट पिंकी मीना के साथ सम्पन्न हुआ है। धर्म सिंह चण्डीगढ में नौकरी करता है प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह व पिंकी के बीच काफी समय से अनबन चल रही है जिसकी वजह से दोनों में विवाद चल रहा है पिंकी अपने पति के साथ नही रहना चाहती है, जथा पिंकी ने प्रार्थी के पुत्र धर्म सिंह से भी संबंध समाप्त कर दिये है। जिसकी वजह से धर्म सिंह भी प्रार्थी के पास नही आता है। प्रार्थी के पुश्तैनी मकान पर जबरदस्ती पंच पटेलों से मिलकर अप्रार्थी पिंकी व पिंकी के भाई भाभी अजय उर्फ कालू, अनिल व भावना भाभी व मनोहर लाल ने मिलकर ताला तोड कर एक कमरे पर कब्जा कर लिया मकान पर ताला लगा दिया तथा उस कमरे की आड में प्रार्थी को घर में घुसने नही देते है, तथा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जान से मारने की धमकी देते है जिसके बारे में प्रार्थी ने उक्त सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायी है व अप्रार्थी ने प्रार्थी व उसकी पत्नी को घर में नहीं घुसने देती है तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी के पास रहने के लिये अन्य कोई मकान नहीं हैं। उक्त सभी अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि व प्रार्थी के मकान में घुसने व रहने से किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नही करे। सभी अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही की जावे प्रार्थी के कब्जे शुदा मकान में रहने में व्यवधान पैदा नहीं करे तथा नाही कोई अन्य गतिविधि करे। सभी अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे। तथा अप्रार्थी को उक्त मकान से निष्कासित कर प्रार्थी को अपने मकान का कब्जा दिलाया जावे। प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को उनके रिहायशी मकान में स्थायी रूप से रहने दे तथा अप्रार्थी अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त कर रही है। जबरदस्ती प्रार्थी के मकान पर कब्जा करना चाहती है। प्रार्थी का स्वयं का पुश्तैनी मकान है अप्रार्थी पिंकी का उक्त मकान से किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। उसका पति चण्डीगढ़ में निवास करता है तथा उक्त मकान के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई मकान नही है। सभी अप्रार्थी ने आपस में मिलकर एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो आये दिन प्रार्थी को धमकी देते है तथा मनोहर लाल जिस का अप्रार्थी पिंकी के साथ संबंध है जिसकी वजह से प्रार्थी के परिवार में अशांति हो गई है। पंचों ने अवैध रूप से प्रार्थी के घर पर ताला तोड कर जबरदस्ती एक कमरे पर कब्जा करवाया है उसके कब्जे को भी हटवाया जावे। प्रार्थी तन्हा जायदाद का मालिक है पिंकी को उस मकान में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है अप्रार्थी को प्रार्थी के मकान से निष्कासित किया जावे प्रार्थी के मकान में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नही करे। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है एवं प्रार्थी की पत्नी वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थी की एक अविवाहित पुत्री भी है अप्रार्थी प्रार्थी को आयेदिन तंग व परेशान करते है और उक्त मकान में प्रार्थी व उसकी पत्नी उपभोग करने नहीं देते है और झगडा फिसाद करने को आमदा है प्रार्थी व उसकी पत्नी ने अप्रार्थी को दिनांक 31.08.2019 कमो मकान से कब्जा हटाने के लिये कहा तो अप्रार्थी ने मकान से कब्जा हटाने से साफ मना कर दिया ओर झगडा फिसाद करने लग गई। आदि का परिवाद पत्र पेश किया है। मिन अपीलान्ट अप्रार्थीया ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि मिन अप्रार्थीया का विवाह दिनांक 30.11.2016 को हिन्दू धर्म एवं परिवार बिरादरी की रस्मों एवं रीति रिवाज, सप्तपदी विधि के अनुसार परिवारजन एवं ईस्ट मित्रों की उपस्थिति में मिन अप्रार्थीया के पैतृक निवास वाके नया बास अलवर तहसील व जिला अलवर राज० पर प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह के साथ सम्पन्न हुआ है। वक्त विवाह से ही मिन अप्रार्थीया व प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह के साथ मध्य वैवाहिक संबंध कायम है। अप्रार्थीया के विवाह के समय से प्रार्थी व उसके परिवारजन दहेज की माँग करते आ रहे है जब दिनांक 26.11.2016 को मिन अप्रार्थीया के परिवारजन प्रार्थी के घर वैवाहिक कार्यक्रमानुसार लग्न टीका लेकर गये तो प्रार्थी के परिवारजन व पुत्री व पुत्री दामाद भडक गये और कहने लगे कि हमें तो दहेज में सिफ्ट डिजायर गाडी चाहिये इस क्वीड गाडी को नही लेगें तथा नकद 11,00,000/–रू0 की मॉग की और गाली गलौच से पेश आये तथा कहा कि नकद नहीं है तो बैंक दो अन्यथा तुम्हारें लग्न टीका को वापिस ले जाओं जिस पर समाज बिरादरी के लोगों व रिश्तेदारों ने काफी समझाईश की व बामुश्किल से लग्न टीका की रस्म पूरी की गई। तथा प्रार्थी व उसके पुत्र को खुश करने के लिये विवाह में बड़े पर 2,51,000/–रू० नकद दिये जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारजन खुश नही हुये बल्कि प्रार्थी व उसकी पत्नी ताना माने लगे कि हमारा लडका अधिकारी है हमें तो दहेज में 21,00,000/– इक्कीस लाख रूपयें नकद व गाडी देने वाले आ रहे थे। दहेज की माँग को लेकर प्रार्थी व उसके परिवारजन मिन अप्रार्थीया को तंग व परेशान करते रहे है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जिस पर समाज बिरादरी के लोगों द्वारा प्रार्थी व उसके पुत्र तथा परिवारजन को समझाने पर अप्रार्थीनी पहली बार दिनांक 19–20 दिसम्बर 2016 के लगभग चण्डीगढ़ अप्रार्थी के पुत्र के साथ चली गयी। जब प्रार्थी की पुत्री व दामाद को पता लगा तो उन्होंने धर्मसिंह को फोन कर उकसाया कि तू इसको चण्डीगढ क्यों लेकर गया है हम तो तेरी दूसरी शादी करवा रहे है तू अप्रार्थीनी (पिंकी) को क्यों लेकर गया है। जिस पर दिनांक 31.12.2016 को चण्डीगढ में धर्मसिंह ने मिन अप्रार्थीया के साथ मारपीट की और कहा कि तेरी वजह से मेरे बहन बहनोई व माता पिता नाराज है और दहेज की माँग की पूर्ति करवाने के लिये लगातार दबाव बनाता रहा है। प्रार्थी की पुत्री व दामाद ने फोन कर अप्रार्थीनी के परिवारजनों को धमकाया कि धर्मसिंह की दूसरी शादी करेगें ये तो नौकरी वाला लडका है। चण्डीगढ में अप्रार्थीया से प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह ने कहा कि दोस्तो से घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और तेरे बाप से खर्चा के लिये 20,000/–रू० मंगवा और विभिन्न प्रकार की यातनाएँ देना शुरू कर दिया कर दिया जिस पर अप्रार्थीनी ने अपने पास रखे हुये 6,000/–रू० प्रार्थी के पुत्र को दे दिये और अपने माता पिता से कहने पर 14,000/–रू0 अलवर से धर्मसिंह के दोस्त धर्मेन्द्र के बैंक खाते में डलवाये। जिसके बावजूद भी प्रार्थी व उसकी पत्नी तथा पुत्र पुत्री एवं बहन–बहनोई, दहेज की माँग पूरी करवाने का दबाव बनाते और दहेज की माँग पूरी नही होने पर अप्रार्थीनी 'को घर से निकालने एवं प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह की दूसरी जगह से अच्छी शादी करवाने की कहते जिस कम में प्रार्थी का पुत्र धर्मसिंह मिन अप्रार्थीया को चण्डीगढ से दिनांक 07.04.2016 को अपनी ससुराल रूपबास अलवर ले आया। प्रार्थी व उसके परिवारजन मिन अप्रार्थीनी को दहेज की माँग को लेकर ससुराल रूपबास में मारपीट करते और ताना देते तथा घर से निकालने हेतु कुरता पूर्ण व्यवहार कर मजबूर करते रहे लेकिन अप्रार्थीनी अपनी ससुराल में ही जैसे तैसे रहती रही। अप्रार्थीनी एक दिन के लिये अपने पीहर में चली गई थी अप्रार्थीनी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थी का रिश्तेदार प्यारेलाल व प्रार्थी की पत्नी व प्रार्थी की छोटी पुत्री को अपने साथ स्वयं के घर भूगोर बाई पास अलवर पर ले गया तथा मकान के ताला लगा गये व रसोई का भी सारा सामान ले गये। जिसकी शिकायत समाज के लोगों व पंच पटेलों से की गई तो उन्होंने प्रार्थी व उसके परिवार के लोगों को बुलाने का काफी प्रयास किया लेकिन नही आये जिसके उपरान्त समाज के पंचों व प्रतिष्ठान लोगों ने अप्रार्थीनी की मजबूरी को देखते हुये एक कमरा मैन गेट, रसोई का ताला तुडवाकर अप्रार्थीनी को घर में प्रवेश कराया जिस पर प्रार्थी फूलचन्द नाराज हो गया तथा फोन से ही विभिन्न प्रकार की धमकी देने लगा। माह सितम्बर 2017 के अंतिम सप्ताह में अप्रार्थीनी का भाई अनिल अप्रार्थीनी से मिलने के लिये गया तो प्रार्थी की बहिन चन्दो ने अप्रार्थीनी के भाई को घेर लिया और कहा कि तुम अप्रार्थीनी को यहाँ से ले जाओं जब तक तुम दहेज की माँग की पूर्ति नही करोगे तब तक अप्रार्थीनी को नहीं रखेगे तथा डराया व धमकाया। मिन अप्रार्थीनी के पिता ने श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मीणा समाज अलवर से अप्रार्थीनी के ससुराल वालों को समझाने एव दहेज की माँग नहीं करने एवं अप्रार्थीया का उचित प्रकार से भरण पोषण करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2018 को पेश किया जिस पर मीणा समाज के पंच पटेलों ने समईश हेतु जातिय पंचायत में प्रार्थी व उसके परिवारजनों को बुलाया लेकिन वे उपस्थित नही हुयें। बल्कि फोन पर नाराजगी जाहिर की तथा कहा कि हम अप्रार्थीनी को नही रखेगे इसलिये पंचायत में नही आयेगे। मिन अप्रार्थीनी को अपनी ससुराल रूपबास में से घर छोडने के लिये प्रार्थी व उसके परिवारजनों ने प्रोग्राम बना कर अप्रार्थीनी को तंग व परेशान करने की नियत से अकेली अप्रार्थीनी के पास परिवार के लोगों को भेजना शुरू कर दिया जो तरह तरह से अप्रार्थीनी को परेशान

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

करते एवं हद गुजर जाने के बाद अप्रार्थीनी ने पुलिस की मदद ली जिस पर पुलिस थाना अरावली विहार अलवर ने अमित व सुरेश को अप्रार्थीनी की शिकायत पर अन्तर्गत धारा 107, 151 जा०फौ० में थाना अरावली विहार अलवर में बन्द कर दिया। जिन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर, अलवर द्वारा जमानत पर छोड़ा गया। वर्ष 2017 में दीपावली के त्यौहार पर प्रार्थी का पुत्र धर्मसिंह, मिन अप्रार्थीनी के पास घर नहीं आया नाही प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य रूपवास अलवर वाले घर पर आये अप्रार्थीनी ने प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह को फोन किया तो धर्मसिंह ने मिन अप्रार्थीनी को गंदी गंदी गालिया दी और कहा कि तेर घरवालों से दहेज की मॉग की पूर्ति करवा तथा तेरी वजह से प्रार्थी व उसके पत्नी व बहन–बहनोई, तथा पुत्री दामाद नाराज है और तुझे नही रखूँगे तथा धर्म सिंह की दूसरी शादी करेंगे। फिर भी अप्रार्थीनी अकेली ही अपनी ससुराल रूपबास अलवर में निवास कर रही है तथा अप्रार्थीनी के पिता व भाईयों के द्वारा वहाँ आटा, सब्जी, दूध, दवाईयों व अन्य खर्चों की व्यवस्था की जा रही है। प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के उपरोक्त कुरता पूर्ण व्यवहार की शिकायत मिन अप्रार्थीनी ने माह नवम्बर 2017 में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य महिला आयोग जयपुर को की गई जिस पर राज्य महिला आयोग ने प्रार्थी व उसके परिवारजन को नोटिस जारी किया गया और कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है। किन्तु प्रार्थी के पुत्र के द्वारा अलवर सिविल न्यायालय में विवाह विच्छेद का दावा पेश कर उसकी प्रति वहाँ पेश की जिस पर आयोग ने यह आदेश दिया कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है तो यहाँ कोई कार्यवाही नही होगी। मिन अप्रार्थया के पिता ने अलवर शहर मीना समाज सुधार समिति अलवर को अप्रार्थीनी के पति व ससुरालजनों को दहेज की माँग नही करने एवं उचित प्रकार से भरण पोषण करने के लिये माह जनवरी 2018 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अध्यक्ष मीणा समाज की ओर से प्रार्थी व उसके परिवारजनों को नोटिस दिनांक 09.01.2018, 06.02.2018, 10.05.2018 देकर समाज की मिटिंग में बुलाया तथा फोन करके भी सूचित किया लेकिन प्रार्थी व उसके परिवारजन उपस्थित नहीं हुई। जिसके उपरान्त भी अप्रार्थीनी मजबूरन अपने ससुराल रूपबास अलवर में ही निवास कर रही है। मिन अप्रार्थीया को अपनी ससुराल के घर रूपबास से निकालने के लिये प्रार्थी व उसके परिवारजन ने अपने स्थानीय थाना अरावली विहार अलवर के बीट प्रभारी घीसा राम बैल्ट नंबर 1149 से मिली भगत करके अप्रार्थीनी के पास भेजते एवं अप्रार्थीनी को प्रताडित व परेशान करता तथा मकान खाली कराने की धमकी देता व कहता कि मै अरावली विहार थाने का हैड हूँ और तुझे थाने में बंद कर दूँगा और कहा कि यदि तेरे भाई या रिश्तेदार यहाँ आये तो उनको भी झूठे मुकदमें में बन्द कर दूंगा। जिसकी शिकरायत अप्रार्थीनी ने श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक अलवर से दिनांक 10.05.2018 को की गई जिस पर घीसाराम को बीट से हटा दिया गया। प्रार्थी व उसके परिवारजन मिन अप्रार्थीनी को विभिन्न प्रकार से तंग व प्रताड़िक कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से कुरतापूर्ण व्यवहार कर घर से निकालना चाहते है एवं लगातार टोरर्च करते रहे है एवं जान से मारने की धमकी देते है तथा अप्रार्थीनी को तंग व परेशान कर रहे है नाही अप्रार्थीनी के आवासीय मकान का बिजली का बिल जमा करा रहे है जब भी अप्रार्यानी, प्रार्थी के पुत्र को फोन करती है तो प्रार्थी का पुत्र फोन नहीं उठाता है नाही मैसेज रिसिव करता तथा अप्रार्थीनी का फोन नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है ताकि मजबूर होकर अप्रार्थीनी घर छोड़ कर चली जावे। मिन अप्रार्थीया ने प्रार्थी के पुत्र को एक पत्र भी भेजा जिसके माध्य से फोन पर बातचीत करने एवं घर का बिजली का बिल जमा कराने एवं खर्चे को पैसे देने की माँग की तथा बिजली के बिल की प्रति भी प्रार्थी के पुत्र को भेजी लेकिन प्रार्थी के पुत्र ने अप्रार्थीनी के पत्र का कोई जवाब नही दिया

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जिस पर मजबूरन अप्रार्थीनी व्यक्तिशः दिनांक 20.06.2018 को प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह से मिलने चण्डीगढ स्थित ऑफिस में गई तो प्रार्थी का पुत्र धर्मसिंह गायब हो गया जिस पर प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह के अधिकारी, श्रीमान प्रवर उप महालेखाकार प्रशासन ए० जी० पंजाब चण्डीगढ से व्यक्तिगत रूप से मिली जिस पर अधिकारी महोदय ने लिखित में प्रार्थना पत्र देने की कही जिस पर अप्रार्थीया ने लिखित में गुहार लगाई कि मिन अप्रार्थीया प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह की विवाहित धर्मपत्नी हूँ और मुझे अकेला छोडा हुआ है और मुझे किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता एवं खर्चा नही देता है नाही मिलता है जिससे मै बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रही हूँ। जिस पर भी जिन अप्रार्थीनी की किसी भी प्रकार से कोई मदद नही की है। का जवाब पेश किया। तहत न्यायालय श्रीमान उप खण्ड अधिकारी अलवर से अप्रार्थीया के जवाब पर विना गौर फरमाये दिनांक 07.07.2023 को उक्त आलोच्य आदेश पारित किया जिसमें आदेशित किया कि " अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 स्वीकार किया जाता है। यह आदेश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत मकान शिव मंदिर के पास बीच का हुआ ग्राम रूपबास पुलिस थाना अरावली विहार अलवर तहसील व जिला अलवर प्रार्थी श्री फूलसिंह मीना पूर्वानुसार शांति पूर्वक, समन्वयपूर्वक निवास करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना अरावली विहार अलवर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करे साथ ही थानाधिकारी को यह आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की जान माल की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीनी को पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश से व्यथित होकर श्रीमान के समक्ष उक्त अपील निम्न बिन्दुओं पर पेश है। मिन अप्रार्थीया, प्रार्थी प्रत्यर्थी की विवाहित पुत्रवधु है जिसका प्रार्थी के पुत्र धर्मसिंह से वैवाहिक संबंध कायम है यानी प्रार्थी के संयुक्त परिवार की सदस्य है जिसे उक्त साझे निवास में रिहायश करने का पूरा हक व अधिकार है। प्रार्थी ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है कि प्रार्थी के मकान में 8 कमरे है जिसमें से समाज बिरादरी के मौजीज पंच पटेलों ने एक कमरे में मिन अप्रार्थीया की रिहायश करवाई है। तथा मीणा समाज के मौजीज पंच पटेलों ने प्रार्थी को मौके पर भी बुलाया था और कई अवसर अपना पक्ष रखने व समझाईश हेतु दिये लेकिन प्रार्थी समाज बिरादरी के मौजीज लोगों के समक्ष उपस्थित नही आया। मिन अप्रार्थीया ने माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं न्यायिक नजीरे प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया जिस पर तहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया और आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। अप्रार्थी व प्रार्थीया के मध्य कभी कोई वाद विवाद नही हुआ है और नाही पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य आई जिससे अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी को तंग व परेशान किया साबित हो जिस पर भी तहत अदालत ने कतई गौर नही किया और आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान द्वारा अपीलार्थी पिंकी द्वारा पेश माननीय सुप्रिम कोर्ट व उच्च न्यायालय की नजीरों को बिना गौर फरमाये व आदेश में उनका उद्हरण नहीं लेते हुये आदेश किया है उन नजीरों की प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगी हुई है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की अवज्ञा की है। अन्य वाकेयात दौराने बहस अर्जकर दिये जावेगे। अपील अन्दर अवधि पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उप ख़ण्ड अधिकारी का अलौच्य आदेश दिनांक 07.07.2023 को निरस्त कर साझा निवास ग्राम रूपवास, पुलिस थाना अरावली विहार अलवर तहसील व जिला अलवर राज० में मिन अप्रार्थीया के निवास में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा ना करें और किसी भी माध्य से तंग व परेशान नही करने के लिये प्रत्यर्थी को पाबन्द फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 07.07.2023 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ना ही उक्त बिन्दू पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने परिवाद में भरण पोषण नहीं चाहा गया है। धारा 22 में सम्पत्ति का सशर्त अन्तरण को शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अधिनियम की धारा 23 में वर्णन अनुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाक्रम पर चस्पा नहीं होती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली (EVICTION) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 07.07.2023 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 07.07.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान